(11)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौंली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण मीना आर.ए.एस

विविध प्रार्थना पत्र संख्या --27 / 2019

1. शंकर लाल पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी घाटानैवाडी तहसील मित्रपुरा जिला स0मा0
2. कमला जोजे शंकर लाल जाति मीना निवरसी घाटानैवाडी तहसील मित्रपुरा जिला स0मा0

......................प्रार्थीगण

वनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर (राज0)

................अप्रार्थीगण

उपस्थित :– श्री ओमप्रकश सोनी एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

धारा 111 व 128, भू. राजस्व अधिनियम 1956

वावत सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी

दिनांक...17.11.22

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का दायर किया है कि ग्राम ाटानैनवाडी तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर की जमावंदी संवत 2070–2073 के खाता ख्या 391 में स्थित खसरा नम्वर 1447 रकवा 0.12, है0,किस्म चाही2, कुल किता 1 कुल क़बा 0.12 हैक्टेयर में स्थित है। प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी /काश्तकारी की भूमि पर ब्जा काश्त स्वयं प्रार्थीगण खातेदार का है। जिस पर प्रार्थीगण का लगातार कब्जा काश्त ला आ रहा है। उक्त भूमि की सीमाओं पर अडोसी–पडोसी खातेदारानों व खातेदार के बीच वाद है। प्रार्थीया उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी रवायी जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। बाद तामिल परिथत नहीं। इस कारण एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

उप जिला कलक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

बहस प्रार्थीगण सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किय। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का आराजीयात मुतवादिया प्रार्थियान की खातेदारी की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार के हकों की सुरक्षा सरंक्षा करना भू धारक अधिकारी का कर्तव्य एवं दायित्व भी है। अतः तहसीलदार मित्रपुरा को प्रार्थीयान की खातेदारी की आराजी का सीमांकन करते हुए पत्थरगढी के निर्देश दिया जाना न्यायहित में उचित है। आवश्यक होने की स्थिति में पुलिस इमदाद ली जा सकेगी।

मुताबिक जमाबंदी उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के खातेदारी की होना प्रथम दृष्टया सिद्ध पाया गया। उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान खातेदार के हक सुरक्षित रखने हेतु सीमाज्ञान आवश्यक है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

तहसीलदार मित्रपुरा को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम घाटानैनवाडी तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर की जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 391 में स्थित खसरा नम्बर 1447 रकबा 0.12, है0,किस्म चाही2, कुल किता 1 कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर में स्थित है। भूमि अडोस–पडोस के खेतों में फसल सरसब्ज न होने व पडत होने पर नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर सीमांकन व पत्थरगढी करावें। पत्थरगढी का व्यय प्रार्थी स्वंय वहन करेगा। पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

बद्रीनारायण मीना
उप जिला कलेक्टर
बौंली (स0मा0)

आदेश आज दिनांक 17.11.22 खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
बौंली (स0मा0)